—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 160/2024

उनवान

पिंकी गोस्वामी पत्नी महावीर पुत्री लालाराम जाति गुसाई निवासी ग्राम साम्प्रोदा, हाल निवासी म.न. 464, गुसाई मौहल्ला, अराई, अजमेर।

— प्रार्थी :—जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— अप्रार्थी :— जरियें राज. पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

—: आदेश :— दिनांक :— 30/6/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 305/747 किता 5, रकबा 0.98, 304/339 किता 3, रकबा 0.35, 307/342 किता 15, रकबा 10.09 की आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की हैं।उक्त आराजी में विरासत के नामान्तकरण संख्या 941 दिनांक 21.03.2023 स्वीकृत करते समय प्रार्थीया का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से पिंकी गोस्वामी के स्थान पर प्रियंका गोस्वामी कर दिया अतः अराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का सही नाम पिंकी गोस्वामी अंकित किया जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 941 दिनांक 20.04.2023 द्वारा जरियें विरासत प्रार्थी का नाम प्रियंका पुत्री लालाराम अंकित किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंक तालिका, जन्म प्रमाण पत्र, के आधार पर प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख में पिंकी दर्ज करवाना चाहती है। भूमि खातेदारी होने से प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होते है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व अभि[illegible] र्थी के पहचान दस्तावेज पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व [illegible] की बहस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:23:31 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मनन किया। ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 305/747 किता 5, रकबा 0.98, 304/339 किता 3, रकबा 0.35, 307/342 किता 15, रकबा 10.09 की आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की हैं। उक्त आराजी में विरासत के नामान्तकरण संख्या 941 दिनांक 21.03.2023 स्वीकृत करते समय प्रार्थीया का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से पिंकी गोस्वामी के स्थान पर प्रियंका गोस्वामी कर दिया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंक तालिका, जन्म प्रमाण पत्र, के आधार पर प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख में पिंकी दर्ज करवाना चाहती है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में प्रार्थी का नाम पिकी ही अंकित है। राज. पैरोकार ने प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। उक्त त्रुटि दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 305/747 किता 5, रकबा 0.98, 304/339 किता 3, रकबा 0.35, 307/342 किता 15, रकबा 10.09 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशस से **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीया के नाम की विस्तुत व गहनता से जॉच कर त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार प्रार्थी का नाम पिंकी दुरूस्ती की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:23:31 IST
Reason: SelfAttested